

परिवार पैकेज कवर (शर्तें निम्न अनुसार)

- क) अर्जक सदस्य (बीमित प्रत्येक के लिए 100% व्यक्ति) तथा विवाहिनी मूल बीमित राशि यदि अर्जक है तो
- ख) विवाहिनी (यदि अर्जक नहीं है) मूल बीमित राशि का 50% अथवा रु. 25 लाख (जो भी कम हो) अर्थात् सूची ए (3) के लिए अधिकतम अथवा अन्य सूची
- ग) बच्चे - 5 वर्ष से 25 वर्ष आयु के बीच मूल बीमित राशि का 25% अथवा रु. 5 लाख, जो भी कम हो (प्रत्येक बच्चे के लिए) अर्थात् अधिकतम (सूची ए (3) के अतिरिक्त अन्य सूची)

टिप्पणी : परिवार पैकेज कवर में सकल प्रीमियम पर 10% की छूट दी जा सकती है।

अपवर्जन

पॉलिसी में निम्नलिखित कारणों से मृत्यु, घायल होना तथा विकलांगता कवर नहीं है :

- किसी भी सेना में कार्याधीन इस्ट्री करते हुए।
- जानबूझ कर स्वयं को हानि पहुंचाना, आत्महत्या अथवा आत्महत्या की कोशिश, एड्स, पागलपन, गुप्त रोग अथवा नशीली दवाओं (मादक दवाओं) का प्रभाव।
- चिकित्सकीय अथवा शल्यचिकित्सा (जब तक की पॉलिसी की सीमा के अंतर्गत इस प्रकार के उपचार को जरूरी न समझा गया हो)
- उड्डयन किसी भी लाइसेंसशुद्ध हवाई जहाज में विश्व में कहीं भी यात्री के रूप में यात्रा करने के अतिरिक्त।
- न्यूक्लीयर रेडिएशन या न्यूक्लीयर शस्त्र सामग्री।
- युद्ध एवं युद्ध जैसी स्थितियों, विदेशी शत्रुओं की कार्यवाही, नागरिक उपद्रव अथवा समान जोखिम। किंतु विशेष मामलों में अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर इसको कवर किया जा सकता है।
- बच्चे का जन्म, गर्भावस्था अथवा स्त्रियों से संबंधित विशिष्ट अन्य शारीरिक कारण।
- आपराधिक इच्छा से कानून का उल्लंघन करते समय।

उधरटना के माध्यम से दुर्भाग्य का हमला किसी भी समय, कहीं भी हो सकता है जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु अथवा विकलांगता हो सकती है। हालांकि मानव जीवन का मूल्य नहीं आंका जा सकता किंतु प्रभावित व्यक्ति/आश्रितों के लिए धन के माध्यम से क्षतिपूर्ति उपलब्ध है।

अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीक के न्यू इंडिया एश्योरंस कं. लि. के कार्यालय से संपर्क करें।

कानूनी व्याख्या के लिए अंग्रेजी अवतरण मान्य होगा।

"बीमा आग्रह की विषय वस्तु है"

FAMILY PACKAGE COVER (NO FOLLOWING TERMS)

- Earning member 100% of capital sum (person insured) & insured for each. spouse if earning
- Spouse (if not earning) 50% of the C.S.I. or Rs. 25 lac which ever is less. i.e. maximum for table A (III) & / or other table.
- Children between the age of 5 & 25 years 25% of the Capital sum insured or Rs. 5 lac whichever is less per child. i.e. Maximum (other than table A (III)).

Note : A discount of 10% may be granted on the gross premium under the Family Package Cover.

EXCLUSIONS

The policy does not cover death, injury or disablement resulting from :

- Services on duty with any armed Force.
- Intentional self injury, suicide or attempted suicide, insanity, venereal diseases, AIDS, insanity or the influence of intoxicating drugs.
- Medical or Surgical treatment (except where such treatment is rendered necessary within the scope of the policy).
- Aviation other than as a passenger (fare-paying or otherwise) in any duly licence standard type of aircraft any where in the world.
- Nuclear radiation or nuclear weapons materials.
- War & War like operation, act of foreign enemy, Civil war & similar risk. However as a special case it can be covered by loading premium.
- Child birth, pregnancy or other physical cause peculiar to the female sex.
- Whilst committing any breach of law with criminal intent.

Misfortune by way of an accident can strike anyone, anytime, anywhere causing death or disablement. Though human life is immeasurable in terms of money, relief by way of monetary compensation is available to the victim/dependants.

For further details contact your nearest NIA Office.

For legal interpretation English version will hold good.

दि न्यू इंडिया एश्योरंस कं. लि. सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा अनुभवी गैर जीवन बीमा कंपनी है, जिसके 1100 प्रचालन कार्यालय हैं और भारत की समस्त कंपनियों की अग्रणी इस कंपनी ने विविध उत्पादों की लंबी सूची के साथ ही भारत की पहली एयर लाइन से लेकर उपग्रह तक का बीमा किया है और इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है।

The New India Assurance Co. Ltd. is the largest and the oldest non-life insurance company with more than 1100 operating offices and is a pioneer among Indian Companies, insuring the first domestic air-line to satellite with an array of products and having its Head Office at Mumbai.

हम मरीन, अग्नि, मेडीक्लेम,

समुद्रपारीय मेडीक्लेम, व्यक्तिगत दुर्घटना और अन्य बहुत से क्षेत्रों का भी बीमा करते हैं।

We also insure risks relating to **MARINE, FIRE, MEDICLAIM, OVERSEAS MEDICLAIM,** and a lot more.

अग्रणी कंपनी का आधारन
ASSURANCE OF THE LEADER



दि न्यू इंडिया एश्योरंस कंपनी लिमिटेड
THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD.

(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वधीन / Wholly owned by the Govt. of India)

भारत की अग्रणी गैर-जीवन बीमा कंपनी
India's Premier Non-Life Insurance Company

एजेंसी विभाग

मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय - I
न्यू इंडिया भवन, 34/38, बैंक स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 023.

Agency Cell

Mumbai Regional Office - I
New India Bhavan, 34/38, Bank Street, Fort, Mumbai - 400 023.

(आई.आर.डी.ए. रजिस्ट्रेशन संख्या / IRDA Registration No. : 190)
CIN No. : U99999 MH1919 GOI 000526

Website : www.newindia.co.in

Waikunth P2009@yahoo.in

दुर्घटना से संपूर्ण सुरक्षा

Overall **SURAKSHA** from accident

दुर्घटनाओं

से आपको होने वाली हानी का ध्यान हम रखेंगे
We'll take care of your loss from Accidents



दि न्यू इंडिया एश्योरंस कंपनी लिमिटेड

(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वधीन)

भारत की अग्रणी गैर-जीवन बीमा कंपनी

THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD.

(Wholly owned by the Govt. of India)

India's Premier Non-Life Insurance Company

व्यक्तिगत दुर्घटना - व्यक्तिगत

आवरण : पॉलिसी आवरण, के दौरान, यदि किसी भी समय बीमित व्यक्ति को प्रत्यक्ष और पूर्ण रूप से, किसी बाहरी और दृष्ट कारणों से घटी दुर्घटना के कारण कोई शारीरिक चोट लगती है तो कंपनी बीमित व्यक्ति को अथवा उसके कानूनी व्यक्तिगत प्रतिनिधि को (जैसा भी मामला हो) भुगतान करेगी। यदि अथवा राशियों का भुगतान पॉलिसी के नियम एवं शर्तों के अधीन होगा।

जोखिम समूह 1 : लेखाकार, डॉक्टर, अधिवक्ता, वास्तुशिल्पी, सलाहकार, इंजीनियर, अध्यापक, बैंकर, प्रशासकीय कार्य कर रहे व्यक्ति और प्राथमिक रूप से इसी प्रकार के जोखिमों से संबंधित व्यवसायों में संलग्न व्यक्ति।

जोखिम समूह 2 : बिजनेस, कॉन्सल्टेंट्स और केवल अधीक्षकीय कार्यों में संलग्न इंजीनियर, मेकैनिक्स, ड्राइवर, भुगतान पाने वाले कार तथा हल्के मोटर वाहनों के ड्राइवर और इसी प्रकार के जोखिमों से संबंधित व्यवसायों में संलग्न व्यक्ति जो शारीरिक श्रमिक न हों।

शारीरिक श्रम में संलग्न सभी व्यक्ति (समूह - 3 में आने वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त) नकदी ले जाने वाला कर्मचारी, रेसलर और मोटर मैकेनिक, मशीन चालक, ट्रक, लॉरी तथा अन्य भारी वाहनों के ड्राइवर, व्यवसायिक एथलीट तथा खिलाड़ी, लकड़ी का काम करने वाले मैकेनिक तथा इसी प्रकार के जोखिमों से संबंधित व्यवसायों/गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति।

जोखिम समूह 3 : भूमि के नीचे स्थित खदानों, विस्फोटक बारूदखानों में काम कर रहे व्यक्ति (कार्मिक) उच्च विद्युतीय दबाव वाले विद्युतीय स्थापना में संलग्न कार्मिक, जॉकी, सर्कस कार्मिक, रेसिंग ऑन व्हेल्स अथवा घोड़े पर रस की गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति, ब्रिग गेम, शिकार, पर्वतारोहण, शीतकालीन खेल, स्कीइंग, आईस हॉकी, बैडमिंटन, पीले और इसी प्रकार के जोखिमों से संबंधित व्यवसायों/गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति।

टिप्पणी : उपर्युक्त में शामिल नहीं किये गए व्यवसायों के बारे में बीमाकर्ता प्रत्येक मामले के लक्षणों के आधार पर निर्णय लेगा।

लाभ :

- केवल मृत्यु 100%
- दो अवयवों और दो आंखों का नष्ट होना अथवा एक अवयव और एक आंख का नष्ट होना 100%
- एक अवयव अथवा एक आंख का नष्ट होना 50%
- उपर उल्लिखित को छोड़ कर अन्य सभी कारणों से चोट लगने से स्थायी पूर्ण विकलांगता 100%
- स्थायी आंशिक विकलांगता में मूल बीमित राशि का 1% (यह कंपनी की पुस्तिका में दिये गए चार्ट के अनुसार 1% से 50% के अंदर होगा)
- अस्थायी पूर्ण विकलांगता में मूल बीमित राशि के 1% का भुगतान 100 सप्ताह तक (अधिकतम सप्ताहिक अभिलाम प्रत्येक सप्ताह के लिए रु. 50000/- से अधिक नहीं होगा) किंतु यह मूल बीमित राशि तक ही सीमित होगा।

सारणी डी - केवल 1 उपर्युक्त अनुसार

सारणी सी - 1 से 4 उपर्युक्त अनुसार

सारणी डी - 1 से 5 उपर्युक्त अनुसार

सारणी ए - 1 से 6 उपर्युक्त अनुसार

PERSONAL ACCIDENT - INDIVIDUAL

COVERAGE : If at any time during the currency of the policy the insured person shall sustain any bodily injury solely & directly from accident caused by external violent and visible means then the Company shall pay to insured or his legal personal representative as the case may be, the sum or sums as per terms/condition of the policy.

RISK GROUP I : Accountants, Doctors, Lawyers, Architects, Consulting Engineers, Teachers, Bankers, Persons engaged in administrative functions and persons primarily engaged in occupation of similar hazard.

RISK GROUP II : Builders, Contractors and Engineers engaged in surptentending functions only, Veterinary Doctors, paid drivers of motor cars and light motor vehicles and person engaged in occupations of similar hazard and not engaged in manual labour.

All persons engaged in manual labour (except those falling under group II) cash carrying employees, Garage and Motor Mechanics, Machines operators, Drivers of trucks or lorries and other heavy vehicles, Professional Athletes and Sportsmen, woodworking Machinists and persons engaged in occupations / activities of similar hazards.

RISK GROUP III : Persons working in Underground Mines, Explosives Magazines, Workers involved in electrical installation with high tension supply, Jockeys, Circus Persons, Persons engaged in activities like racing on wheels or horse back, big game, hunting, mountaineering, winter sports, skiing, ice hockey, ballooning, polo and persons engaged in occupations/activities of similar hazard.

Note : Occupations not included in the above will be decided by insurer depending upon the merits of each case.

BENEFITS :

- Death Only 100%
- Loss of two limbs two eyes or one limb and one eye 100%
- Loss of one limbs or one eye 50%
- Permanent Total disablement from injuries other than those named above (P. T. D.) 100%
- Permanent Partial disablement (PPD) % of CSI (it varies from 1% to 50% stated in chart in manual)
- Temporary total disablement (TTD) at 1% of CSI upto 100 weeks (Max. weekly benefits per week not exceeding Rs. 50000/-) however limited to capital Sum Insured.

Table D - Only 1 as above

Table C - 1 to 4 as above

Table B - 1 to 5 as above

Table A - 1 to 6 as above

सभी सारणियों में अंतर्निहित अभिलाम (किसी अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान किये बिना)

1. बीमाधारक के मूल शरीर को (केवल दुर्घटना द्वारा मृत्यु होने के मामले में) उसके निवास स्थान पर लाने के खर्च का भुगतान मूल बीमित राशि का 2% अथवा रु. 25,000/- जो भी कम हो।

2. आश्रित बच्चों के लिए शैक्षिक निधि

दुर्घटना के कारण बीमाधारक की मृत्यु अथवा स्थायी पूर्ण विकलांगता के मामले में, व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी को बीमाधारक के आश्रित बच्चों के लिए शैक्षिक निधि प्रदान करने की ओर निम्न अनुसार विस्तारित किया गया है।

क) यदि बीमाधारक का कोई 25 वर्ष से कम आयु का एक आश्रित बच्चा है (दुर्घटना के समय पर) तो मूल बीमित राशि का 10% जो अधिकतम रु. 25,000/- होगा।

ख) यदि बीमाधारक के 25 वर्ष से कम आयु के एक से अधिक बच्चे हैं (दुर्घटना के समय पर) तो मूल बीमित राशि का 10% जो अधिकतम रु. 50,000/- होगा।

अभिलाम केवल, मूल बीमित राशि पर ही आधारित है और संश्लिप्त बोनस पर विचार नहीं किया जाएगा। दुर्घटना के समय यदि एक से अधिक व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसियों प्रचालन में हैं तो अंशदान की शर्तें लागू होंगी। यह भुगतान केवल एक समय के लिए ही होगा।

टिप्पणी :

- पॉलिसी को वेध दावा राशि के 4% तक अथवा मूल बीमित राशि के 10% तक, (जो भी कम हो) डिफिजिटिव व्ययों की प्रतिपूर्ति को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है। यह मूल प्रीमियम के 20% की दर पर अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के अधीन होगा। प्रस्तावक उपर्युक्त में से किसी भी सारणी को चुन सकता है।
- कवर पूरी दुनिया में लागू है।
- संश्लिप्त बोनस : अभिलामों के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि/1 से 4 सारणी को दावा मुक्त वर्ष के लिए 5% तक के लिए पॉलिसी नवीकरण पर (अधिकतम 5% तक) बढ़ाया जा सकता है। अर्जित संश्लिप्त बोनस, पॉलिसी समाप्ती के 30 दिनों के अंदर जारी रहेगा, यहां तक कि पॉलिसी अन्य बीमा कंपनी में ट्रांसफर होने पर भी लागू होगा।
- मूल बीमित राशि पॉलिसी प्रारंभ होने पर निर्धारित होगी और चालू पॉलिसी के दौरान मूल बीमित राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

Inbuilt Benefits under all Tables (without any extra premium)

1. Expenses incurred for carriage of dead body of insured (death due to accident only) to place of residence subject to a maximum of 2% of the CSI or Rs. 25,000/- whichever is lower.

2. Education Fund for dependent children.

P. A. Policies are extended to provide compensation towards Education Fund for the dependent children of the insured as follows in event of Death or Permanent Total Disablement of the insured due to Accident.

a) If insured person has one dependent child below the age of 25 years, (at the time of accident) an amount equal to 10% of the CSI, subject to max. Rs. 25,000/-

b) If insured person has more than one dependent child below the age of 25 years (at the time of accident) and amount equal to 10% of the CSI, subject to max. Rs. 50,000/-

This benefit is based on Capital Sum Insured (CSI) only & Cumulative Bonus is not to be considered. Condition of contribution will apply if there are more than one PA Policies in operation at the time of accident. This is a one time payment.

Note :

1) The policy can be extended to include reimbursement of medical expenses to the extent of 40% of the valid claim amount or 10% of Capital Sum Insured whichever is less subject to payment of additional premium at the rate of 20% of basic premium.

2) The Proposer may choose any of the above tables.

3) The cover is worldwide.

4) Cumulative Bonus : The Sum payable under benefit / Table 1 to 4 can be increased by 5% for claim free year on renewal of Policy upto limit of 50%. Earned cumulative bonus will not be lost if the policy is renewed within 30 days of its expiry even the business is transferred from one to other Insurance Co.

5) The capital sum insured shall be fixed at the commencement of the policy. No change in the CSI is permissible during the currency of policy.

6) The aforesaid limits would apply cumulatively in the event of there being more than one policy on the life of the insured by any one or more of the general insurance co. of the GIC.

7) Policy in respect of Indian personnel experts working in foreign countries on civilian duty can be covered on payment of additional premium (e.g. 50% for normal / peace time period or 100 to 150 extra premium over the rate during the period when war like conditions exist.